बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

संकल्प

विषय :- राज्य सरकार के द्वारा सौजन्यता प्रदर्शित करने/आतिथ्य प्रदान करने के संबंध में ।

सरकारी बैठकों, सरकार द्वारा आयोजित महत्त्वपूर्ण कार्यशालाओं, विचार गोष्ठियों में या सरकार से विचार-विमर्श के लिए राज्य में आने वाले महानुभावों तथा सरकारी कार्य से बाहर से आने वाले पदाधिकारियों या महानुभावों के प्रति सौजन्यता का प्रदर्शन कर उनके आतिथ्य पर होनेवाले व्यय की व्यवस्था का प्रश्न सरकार के समक्ष विचाराधीन था। इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :-

(1) (क) मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग अपने वार्षिक बजट में इस मद पर 5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये) का प्रावधान करेगी जिसमें से 2,00,000.00 (दो लाख) रुपये मुख्य सचिव के लिए कर्णांकित रहेगा, जो उनके आदेश से विकलनीय होगा। शेष राशि विभागीय सचिव के आदेश से विकलित होगी ।

(ख) गृह विभाग, वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास विभाग, कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य (चिकित्सा शिक्षा एवं देशी चिकित्सा) विभाग, मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग, मानव संसाधन विकास (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा) विभाग, उद्योग विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पथ निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग को इस मद में 1,00,000/- (एक लाख) रुपये प्रति वर्ष प्रावधान किया जाय। शेष विभाग के लिए प्रतिवर्ष 50,000/- (पचास हजार) रुपये इस मद में उपबंध किया जाय ।

(ग) सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी को सालाना 50-50 हजार (पचास-पचास हजार) रुपये की राशि इस में उपलब्ध किया जाय ।

12/5/05

......2

§2§ §क§ सौजन्यता एवं आतिथ्य का व्यय उन महानुभावों, अधिकारियों या प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के लिए ही होगा जो राज्य मुख्यालय या विभिन्न प्रमण्डलों/जिलों में सरकारी बैठकों, सरकारी कार्यशालाओं या सरकार द्वारा आयोजित विचार-विमर्श के लिए या तो बुलाऐ गये हों या आयेंगे ।

§ख§ बैठक इत्यादि के दौरान अल्पाहार तथा दिवा भोज/रात्रि भोज पर प्रति व्यक्ति क्रमशः 50/- §पचास§ रूपये एवं 300/- §तीन सौ§रूपये की सीमा तक व्यय किया जा सकेगा ।

§ग§ सौजन्यता के प्रतीक के तौर पर आगत महानुभावों/अधिकारी या प्रतिनिधिमण्डल के मुखिया को मोमेंटो या उपहार के रूप में 500/- §पाँच सौ§ रूपये तक की राशि व्यय किया जा सकेगा ।

§3§ बैठक/कार्यशाला में भाग लेने आये ऐसे महानुभावों या पदाधिकारियों को, जो राज्य अतिथि के लिए अर्हता नहीं रखते हों या जब राजकीय अतिथिशाला या सर्किट हाऊस में कमरा उपलब्ध नहीं हो, विभागीय सचिव §जिस विभाग की ओर से कार्यशाला/बैठक आयोजित की गयी है§, उन्हें आई.टी.डी.सी. पाटलिपुत्रा अशोक, चाणक्या होटल, कौटिल्य विहार या उसके समरूप होटलों में ठहरने की व्यवस्था करें सकेंगे ।

§4§ शासकीय प्रयोजन से आ रहे भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी एवं अन्य राज्यों के मुख्य सचिव को भी मुख्य सचिव के आदेश से राज्य अतिथि घोषित किया जा सकेगा ।

§5§ इस मद में व्यय किये जाने वाले राशि का उपबंध सभी विभाग अपने स्थापना एवं जिला/प्रमण्डल के लिए उनके स्थापना से संबंधित उपशीर्ष में "आतिथ्य व्यय" इकाई के अंतर्गत करेंगे ।

§6§ सौजन्यता प्रदर्शित करने/आतिथ्य प्रदान करने का निर्णय लेने एवं आतिथ्य की व्यवस्था एवं भुगतान के लिए राज्य सरकार के विभागों के आयुक्त एवं सचिव/सचिव, प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी सक्षम होंगे ।

§7§ सामान्यतः बाहर से आने वाले पदाधिकारियों/महानुभावों के लिए विभाग की सरकारी वाहन अथवा वित्त विभाग में उपलब्ध वाहनों का ही प्रयोग किया जायेगा । यदि किसी विशेष या आपातस्थिति में विभागीय वाहन या वित्त विभाग का वाहन उपलब्ध न हो पाय और सरकारी कार्य से आनेवाले पदाधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक हो तो विभागीय सचिव प्रमण्डलीय आयुक्त, या

135/05

...का पदाधिकारी आवश्यकतानुसार बी०एस०टी०डी०सी० या आई०टी०डी०सी० से किराया पर वाहन प्राप्त कर सकेंगे । ऐसा सिर्फ राज्य के दौरे पर सरकारी कार्य से आने वाले महानुभावों/पदाधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में ही किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शशि शेखर शर्मा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- बी/बजट-01-1007/05- 635 / पटना-15, दि० 04 अगस्त, 05.

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(शशि शेखर शर्मा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-बी/बजट-01-1007/05- 635 / पटना-15, दि० 04 अगस्त, 05.

प्रतिलिपि- सभी विभाग/महामहिम राज्यपाल के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(शशि शेखर शर्मा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-बी/बजट-01-1007/05- 635 / पटना-15, दि० 04 अग. 05.

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-बी/बजट-01-1007/05- 635 / पटना-15, दि० 04 अग. 05.

प्रतिलिपि- उपाधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी आवश्यक अतिरिक्त प्रतियाँ निदेशित स्थान पर प्रेषित की जाय तथा अलग से 200 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (स०श०) को प्रेषित की जाय ।

सरकार के सचिव ।

सिंह,
3. 8